10* लोकहित में सेवानिवृत्ति

किसी भी शासकीय सेवक को 20 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूर्ण कर लेने अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात प्रपत्र–29 में कम से कम एक माह का नोटिस देकर कभी भी लोकहित में सेवानिवृत्त किया जा सकता है । चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा अथवा 57 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उपरोक्तानुसार सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

टीप– स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा लोकहित में सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में नोटिस के अभाव में, नोटिस की कालावधि के लिये अथवा उतनी कालावधि के लिये, जितनी से ऐसी सूचना एक माह से कम होती है, वेतन एवं भत्तो ंका भुगतान किये जाने पर सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जा सकती है ।